संख्या–147 / 9–आवास–51998

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक 16 मई, 1998

विषय : उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरणों के स्थानांतरण की दशा में उपाध्यक्ष का कार्य जिलाधिकारी द्वारा देखे जाने संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरों के नियंत्रित एवं सुनियोजित विकास के लिए विभिन्न विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है। उनमें प्राधिकरणों के कार्य की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार उपाध्यक्ष एवं सचिव के पद पर अधिकारी तैनात किये जाते हैं। कभी–कभी कार्यहित में जब उपाध्यक्ष का स्थानांतरण हो जाता है और तत्काल किसी अधिकारी की तैनाती नहीं की जाती हे तब प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने में विषम स्थिति स्थानीय व्यवस्था के तौर पर पैदा हो जाती है एवं सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के क्रिया–कलाप पर प्रभावी नियन्त्रण रख पाना कठिन होता है।

2. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त स्थिति में उपाध्यक्ष का कार्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा देखा जायेगा। जिलाधिकारी यह कार्य तब तक देखेंगे जब तक उस विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक की तैनाती न हो जाय।

इस व्यवस्था पर नियुक्ति विभाग की सहमति है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव